51

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

CF-R 15/-/2

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /03

निग. 420-II/2003

श्री के0 के0 द्विवेदी अभि0 द्वारा आज दि. 12/3/03 को प्रस्तुत।

अवर सचिव राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर

12 MAR 2003

लाल सुरेन्द्र प्रताप सिंह आत्मज श्री भीष्मसिंह
निवासी ग्राम देवरी तहसील ब्योहारी
जिला शहडोल म.प्र.

... आवेदक

वि.

1. गनपत तनय झिरकु गोंगा
2. सुन्दर तनय फल्ले गोंड़
3. मोलई तनय झुरहा नाई

सभी नि.गण ग्राम देवरी तहसील ब्योहारी
जिला शहडोल म.प्र.

..अनावेदकगण

माननीय न्यायालय के द्वारा प्रकरण क्रमांक 1433-111/00 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 12.6.02 एवं आदेश की वास्तविक जानकारी दिनांक 5.3.02 के विरूध म.प्र.भू.राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन

Rec. 12.3.03
K. K. Dwivedi Advocate

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनर्विलोकन निम्न आधारों पर प्रस्तुत हैः-

आधारः
=======

1. यह कि, आवेदक द्वारा अपने आवेदन में स्पष्ट किया गया है कि अनावेदकों ने 12.6.89 को आलोच्य भूमि क्रमांक 17 क्षेत्रफल 6 एकड को जबरन जोतकर अनाधिकृत कब्जा किया है तथा पटवारी के कथन से स्पष्ट है कि तहसील के आदेश दिनांक 4.5.88 के पालन में दिनांक 19.5.88 से 28.5.88 के बीच पांच सदस्यीय टीम के द्वारा ग्राम के वकनाप कर मौके से सभी काश्तकारों को बताकर

M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 420/दो/2003 जिला –शहडोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
22-12-17	आवेदक की ओर से श्री के0के0द्विवेदी अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2–यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1433/तीन/2000 में पारित आदेश दिनांक 12.06.02 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 420/दो/03 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । 3– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1433/तीन/2000 में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेश दिनांक 12.06.02 से किया जा चुका है। 4– रिव्यु प्रकरण कमांक 420/दो/03 में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन के जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :–	

प्रकरण कमांक रिव्य 420–दो/03

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य